

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,  
(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 30-1-2023

**ज्वाइन्ट कमिश्नर(कार्य0) राज्य कर,  
लखनऊ सम्भाग-बी, प्रयागराज-ए।**

कृपया आपके सम्भाग से सम्बन्धित सूची में अंकित प्रकरण का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, अंकित बीमा दावे में विभागीय समिति द्वारा दावे को निर्धारित मापदण्डों पर उचित पाते हुए अपनी संस्तुति के साथ प्रकरण का निस्तारण कराये जाने का अनुरोध किया गया था।

उक्त के क्रम में आप द्वारा प्रेषित विभागीय संस्तुति का परीक्षण किया गया तथा शासन के पत्र संख्या-223/11-04-2022-400(94)/2000टी0सी दिनांक 30-05-2022 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि दावे के सम्बन्ध में दावेदार द्वारा प्रस्तुत मूल पत्रजातों से आश्वस्त होते हुए सम्बन्धित दावेदार को भुगतानादेश जारी करते हुए, इसी वित्तीय में नियमानुसार भुगतान कराना सुनिश्चित करें। केन्द्रीय क्षेत्राधिकार के सम्बन्ध में यह आश्वस्त कर लिया जाए कि मृत व्यापारी उत्तर प्रदेश राज्य का निवासी था तथा उनका CGST पंजीयन उत्तर प्रदेश राज्य में था।

उक्त प्रकरण में भुगतान किये जाने हेतु सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी को विभागीय संस्तुति के आधार पर बीमित धनराशि का बजट आवंटन किया जा चुका है :-

क्र0 सं0	जोन का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	Lucknow	लखनऊ	स्व0 श्री आदित्य कोठारी	सर्वश्री गार्डन मैग्जीन शॉप, लखनऊ	06-02-2022	श्रीमती प्रतिभा कोठारी, पत्नी	10.00 लाख
2	Prayagraj	प्रतापगढ़	स्व0 श्री राजेश सिंह	सर्वश्री महागमाया मार्बल एण्ड सेनेटरी वेयर, प्रतापगढ़	23-01-2019	श्रीमती पुनीता सिंह, पत्नी	10.00 लाख
3	Lucknow	रायबरेली	स्व0 श्रीमती रुयिका अग्रवाल	सर्वश्री विमला इण्डस्ट्रीज, रायबरेली	19-07-2022	श्री रचित अग्रवाल, पति	10.00 लाख
4	Lucknow	लखनऊ	स्व0 श्री हरविंदर सिंह	सर्वश्री महाराजा रेस्टोरेन्ट, लखनऊ	02-08-2020	श्री हर्षपाल सिंह, पुत्र	10.00 लाख
कुल योग							40 लाख

उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या-क0नि0-4-1351/11-2017-400(94)2000 दिनांक 27-10-2017 के क्रम में अंकित तालिका के प्रकरण में बीमा कम्पनी द्वारा रु0-5.00 लाख का भुगतान किये जाने के पश्चात् अवशेष धनराशि रु0-5.00 लाख का भुगतान सम्बन्धित दावेदार को किया जाना है, प्रकरण निम्नवत् है :-

क्र0 सं0	जोन का नाम	आहरण वितरण अधिकारी	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	सहारनपुर	मुजफ्फरनगर	स्व0 श्री गो0 कागिल	सर्वश्री फैसल स्केप टेडर्स, खतौली	11-03-2018	श्रीमती नाजरीन, पत्नी	5.00 लाख

उक्त मद में आवंटित बजट को किसी भी दशा में लैप्स न होने दिया जाए, तथा सम्बन्धित प्रकरणों के भुगतान के पश्चात् प्रकरण के भुगतान की स्थिति को विभागीय वेबसाइट के Vyas पोर्टल पर भी Update कर दिया जाए।

यह पत्र कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश के अनुमोदनोपरान्त जारी किया जा रहा है।

(शैलेश गिरि)

अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अपर आयुक्त, राज्य कर, ग्रेड-1, लखनऊ जोन-1 लखनऊ, प्रयागराज जोन प्रयागराज ।
- 2- आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य कर, लखनऊ, प्रतापगढ, रायबरेली ।
- 3- बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु ।



अपर आयुक्त (लेखा), राज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।